बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

।। अधिसूचना ।।

संख्या 7/विविध–14–52/2014 1066 पटना, दिनांक :– 8/9/15

राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 के कतिपय प्रावधानों का संशोधन करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 47 सह पठित धारा 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

" बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2015 "

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** ।– (1) यह नियमावली **"बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2015"** कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **उक्त नियमावली 2012 के नियम 11 (ङ)(i) का प्रतिस्थापन** ।– उक्त नियमावली, 2012 के नियम 11 (ङ)(i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

   " (i) रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थी को नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करेगा ताकि अभ्यर्थी को समय पर नियोजन पत्र मिल सके।"

3. **उक्त नियमावली 2012 के नियम 15 (क)(iii) का प्रतिस्थापन** ।– उक्त नियमावली, 2012 के नियम 15 (क)(iii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

   "(iii) शिक्षकों अथवा अनुदेशकों को राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित वेतन देय होगा। वेतन भत्ते में कोई बढ़ोत्तरी वित्त विभाग की सहमति से की जा सकेगी।"

4. **उक्त नियमावली 2012, के नियम 15 (ख) का प्रतिस्थापन** ।– उक्त नियमावली, 2012 के नियम 15 (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

   "**(i)** नियोजन नियमावली, 2006 के आलोक में नियोजित शिक्षकों को विभाग द्वारा विहित मूल्यांकन परीक्षा (दक्षता परीक्षा) में उत्तीर्ण होना होगा। इसके लिए उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। प्रथम अवसर में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को नियमानुसार तीन वर्षों की सेवापूर्ण होने की तिथि से तथा द्वितीय अवसर में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को उत्तीर्णता की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा।

(ii) दिनांक 03.04.2012 के पूर्व मूल्यांकन परीक्षा (दक्षता परीक्षा) में उत्तीर्ण होनेवाले प्रशिक्षित शिक्षकों के नियत वेतन में एकमुश्त 500/–रू० तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों के नियत वेतन में एकमुश्त 300/–रू० की वृद्धि अनुमान्य होगी। तत्पश्चात दिनांक 03.04.2012 से इन्टर प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन में प्रतिवर्ष 170/–रू० तथा इन्टर अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन में प्रतिवर्ष 100/–रू० की वृद्धि की जाएगी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के वेतन में प्रति वर्ष 300/–रू० तथा अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के वेतन में प्रतिवर्ष 200/–रू० की वृद्धि की जाएगी।

(iii) मूल्यांकन दक्षता परीक्षा में सामान्य कोटि के शिक्षकों को न्यूनतम 45% एवं आरक्षित कोटि को न्यूनतम 40% अंक लाने पर उत्तीर्ण माना जाएगा।

(iv) उक्त दोनों मूल्यांकन परीक्षा (दक्षता परीक्षा) में असफल शिक्षकों को एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। किन्तु इस तीसरे अवसर में उत्तीर्ण शिक्षकों को भी उत्तीर्णता की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा।

(v) उक्त तीनों दक्षता परीक्षाओं के अवसर में अनुत्तीर्ण रहने वाले शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा।"

5. **उक्त नियमावली 2012, के नियम 15 (घ)(i) का प्रतिस्थापन** ।– उक्त नियमावली, 2012 के नियम 15 (घ)(i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

" (i) अप्रशिक्षित शिक्षक को नियोजन के तीन वर्षों के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। पूर्व से नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षक को भी इस संशोधन नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से तीन वर्षों के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण अवधि में सवैतनिक अवकाश इस शर्त्त के साथ देय होगा कि वे प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम पाँच वर्षों तक शिक्षण का कार्य करेंगे। विनिश्चित अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में, प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतनादि की राशि सरकार के खजाने में जमा करनी होगी। प्रशिक्षण के पूर्व सम्बन्धित शिक्षक को इस आशय का बाण्ड देना अनिवार्य होगा। वसूलनीय राशि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8/9/15

(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 7/विविध–14–52/2014 1066 पटना, दिनांक :– 8/9/15

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय)/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी /सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी पंचायत सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/9/15
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 7/विविध–14–52/2014 1066 पटना, दिनांक :– 8/9/15

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी० डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 3000(तीन हजार) प्रतियाँ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध करायी जाए।

8/9/15
प्रधान सचिव।

E:\Pri edu (J)\Niyamawali\1\2015-\Part-2-New\H Pan-2.doc

GOVERNMENT OF BIHAR
EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

No :- 7/Vividh.-14-52/2014 ..1066 Patna, dt. :- ..8/9/15...

The State Government is satisfied that such circumstances exist which render it necessary to amend the certain provisions of The Bihar Panchayat Elementary Teachers (employment and service conditions) Rules, 2012.

Now therefore, in exercise of powers conferred under the provisions of section 47 read with Section 146 of Bihar Panchayat Raj Act, 2006, the State Government is pleased to make the to following Rules to amend The Bihar Panchayat Elementary Teachers (employment and service conditions) Rules, 2012 :-

"Bihar Panchayat Elementary teachers (Employment and service conditions) (Amendment) Rules, 2015"

1. Short title, extent and commencement |- (1) These Rules may be called the "Bihar Panchayat elementary teachers (employment and service conditions), (Amendment) Rules, 2015."

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Substitution of Rule 11(e)(i) of said Rules, 2012 |- The Rule 11 e(i) of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following :-

"(i) The employment letters to the selected Candidates will be issued in conformity with the number of vacant posts. For this education department shall issue the necessary guidelines so that the candidate may obtain the employment letter on time"

3. Substitution of Rule 15(a)(iii) of said Rules, 2012 |- The Rule 15 a(iii) of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following :-

"(iii) The teachers and instructor will get the salary as determined by the state Government. The increase in salary- allowances shall be given with the concurrence of finance Department."

4. Substitution of Rule 15 (b) of said Rules, 2012 |- The Rule 15 (b) of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following :-

" (i) In view of the Employment Rules 2006, the employed teachers will have to pass the evaluation by examination (Competency Examination) prescribed by the department. For this, they will be given two chances. The benefit of pay increment shall be allowed from the date of completion of three years of service to those teachers who will pass in the 1st chance and from the date of passing to those teachers who will pass in the 2nd chance.

E:\Pri edu. (J)\Niyamawali\1\2015-\Part-2-New\E.Pan-2.doc

(ii) There shall be an increase of consolidated Rs. 500/- in the fixed salary of trained teachers and consolidated Rs. 300/- in the fixed salary of untrained teachers who had passed evaluation examination (competency examination) before dt. 03-04-2012. After that from the date 03-04-2012, there shall be an increase of Rs. 170/- yearly to the trained intermediate teachers and Rs. 100/- yearly to the untrained intermediate teachers. The Trained graduate teachers will get an increase of Rs. 300/- yearly and untrained graduate teacher will get an increase of Rs. 200/- yearly.

(iii) The teachers of general category getting minimum 45% marks and the teacher of reserved category getting 40% marks in evaluation examination will be treated as successful.

(iv) The unsuccessful teachers who have participated in two previous evaluation, will get an additional chance for evaluation examination (competency examination). But those successful teachers who have passed the evaluation examination in third attempt will get the benefit of increase in pay from the date of passing.

(v) The unsuccessful teachers in all the three chances of examination will be removed from the service."

(vi) Substitution of Rule 15 (d) (i) of said Rules, 2012 |- The Rule 15 (d) (i) of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following :-

" (i) The untrained teachers will have to complete the required training within three years from the date of employment. The untrained teachers employed earlier from the notification of this Amendment Rules will also have to complete the required training within three years. The leave with pay shall be given with this condition that they will teach at least for five years after the completion of training. In the case of leaving the service before the prescribed period, the received amount during the training period shall be deposited in the government treasury. The teacher concerned shall have to furnish a bond of this intent. The recoverable amount shall be recoverable as the public demand."

By order of the Governor of Bihar,

(signature) 8/9/15

(R. K. Mahajan)

Principal Secretary.

Memo No. :- 7/Vividh.-14-52/2014 ..1955 **Patna, dt.** 8/9/15

Copy to :- All Principal Secretary/All Secretary/Accountant General, Bihar/All Divisional Commissioners/Director, Primary Education/ Director, Secondary Education/ All District Magistrates/All Regional Deputy Directors of Education/All Deputy Development Commissioners/All District Education Officers/All District Program Officers/All Block

Development Officers/All Block Education Officers and all Panchayat Secretary for information and necessary action.

Principal Secretary.

Memo No. :- 7/Vividh.-14-52/2014 ..1046 **Patna, dt.** 8/9/15

Copy to :- Superintendent Govt. Printing Press, E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna with a copy of the C.D. for publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette. He is requested to make available 3000 copies of the gazette for official use.

Principal Secretary.

E:\Pri edu (J)\Niyamawali\1\2015-\Part-2-New\E.Pan-2.doc

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

।। अधिसूचना ।।

संख्या :– 7/विविध–14–52/2014 1067 पटना, दिनांक :– 8/9/15

राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 के कतिपय प्रावधानों का संशोधन करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 46, 47(4) सह पठित धारा 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

" **बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2015** "

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।–** (1) यह नियमावली **"बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2015"** कही जाएगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **उक्त नियमावली 2012 के नियम 11 (ङ)(i) का प्रतिस्थापन ।–** उक्त नियमावली, 2012 के नियम 11 (ङ)(i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

   " (i) रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थी को नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करेगा ताकि अभ्यर्थी को समय पर नियोजन पत्र मिल सके।"

3. **उक्त नियमावली 2012 के नियम 15 (क)(iii) का प्रतिस्थापन ।–** उक्त नियमावली, 2012 के नियम 15 (क)(iii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

   " (iii) शिक्षकों अथवा अनुदेशकों को राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित वेतन देय होगा। वेतन भत्ते में कोई बढ़ोत्तरी वित्त विभाग की सहमति से की जा सकेगी।"

4. **उक्त नियमावली 2012, के नियम 15 (ख) का प्रतिस्थापन ।–** उक्त नियमावली, 2012 के नियम 15 (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

   "**(i)** नियोजन नियमावली, 2006 के आलोक में नियोजित शिक्षकों को विभाग द्वारा विहित मूल्यांकन परीक्षा (दक्षता परीक्षा) में उत्तीर्ण होना होगा। इसके लिए उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। प्रथम अवसर में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को नियमानुसार तीन वर्षों की सेवापूर्ण होने की तिथि से तथा द्वितीय अवसर में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को उत्तीर्णता की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा।

(ii) दिनांक 03.04.2012 के पूर्व मूल्यांकन परीक्षा (दक्षता परीक्षा) में उत्तीर्ण होनेवाले प्रशिक्षित शिक्षकों के नियत वेतन में एकमुश्त 500/–रू0 तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों के नियत वेतन में एकमुश्त 300/–रू0 की वृद्धि अनुमान्य होगी। तत्पश्चात दिनांक 03.04.2012 से इन्टर प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन में प्रतिवर्ष 170/–रू0 तथा इन्टर अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन में प्रतिवर्ष 100/–रू0 की वृद्धि की जाएगी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के वेतन में प्रति वर्ष 300/–रू0 तथा अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के वेतन में प्रतिवर्ष 200/–रू0 की वृद्धि की जाएगी।

(iii) मूल्यांकन दक्षता परीक्षा में सामान्य कोटि के शिक्षकों को न्यूनतम 45% एवं आरक्षित कोटि को न्यूनतम 40% अंक लाने पर उत्तीर्ण माना जाएगा।

(iv) उक्त दोनों मूल्यांकन परीक्षा (दक्षता परीक्षा) में असफल शिक्षकों को एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। किन्तु इस तीसरे अवसर में उत्तीर्ण शिक्षकों को भी उत्तीर्णता की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा।

(v) उक्त तीनों दक्षता परीक्षाओं के अवसर में अनुत्तीर्ण रहने वाले शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा।"

5. **उक्त नियमावली 2012, के नियम 15 (घ)(i) का प्रतिस्थापन** ।– उक्त नियमावली, 2012 के नियम 15 (घ)(i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"(i) अप्रशिक्षित शिक्षक को नियोजन के तीन वर्षों के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। पूर्व से नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षक को भी इस संशोधन नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से तीन वर्षों के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण अवधि में सवैतनिक अवकाश इस शर्त्त के साथ देय होगा कि वे प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम पाँच वर्षों तक शिक्षण का कार्य करेंगे। विनिश्चित अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में, प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतनादि की राशि सरकार के खजाने में जमा करनी होगी। प्रशिक्षण के पूर्व सम्बन्धित शिक्षक को इस आशय का बाण्ड देना आवश्यक होगा। वसूलनीय राशि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 7/विविध–14–52/2014 1067 पटना, दिनांक :– 8/9/15

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय)/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी/सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 7/विविध–14–52/2014 .... पटना, दिनांक :– ....

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी० डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 3000(तीन हजार) प्रतियाँ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध करायी जाए।

प्रधान सचिव।

E:\Pri. edu (J)\Niyamawali\1\2015-\Part-2-New\H.Nag-2.doc

GOVERNMENT OF BIHAR
EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

No :- 7/Vividh.-14-52/2014 .1067. Patna, dt. :- ..8|9|15.....

The State Government is satisfied that such circumstances exist which render it necessary to amend The Bihar Municipal Elementary Teachers (employment and service conditions) Rules, 2012.

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by the provisions of section 46, 47(4) read with Section 419 of Bihar Municipal Act, 2007, the state government is pleased to make the following Rules to amend The Bihar Municipal Elementary Teachers (employment and service conditions) Rules 2012:-

"Bihar Municipal Elementary teachers (Employment and service conditions) (Amendment) Rules, 2015"

1. **Title, extent and commencement** |- (1) These Rules may be called the Bihar Municipal elementary teachers (employment and service condition), (amendment) Rules, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Substitution of Rule 11(e)(i) of said Rules, 2012** |- The Rule 11 e(i) of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following :-

" (i) The employment letters to the selected Candidates will be issued as per the number of vacant posts. The education department shall issue the necessary guidelines for receipt of employment letter to the candidate on time."

3. **Substitution of Rule 15(a)(iii) of said Rules, 2012** |- The Rule 15 a(iii) of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following :-

" (iii) The teachers and instructor will get the salary as decided by the state Government. The increase in salary- allowances shall be given with the concurrence of finance Department."

4. **Substitution of Rule 15 (b) of said Rules, 2012** |- The Rule 15 (b) of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following :-

" (i) In view of the employment Rules 2006, the employed teachers will have to pass the evaluation by examination (Competency Examination) prescribed by the department. For this, they will be given two chances. The benefit of pay increment shall be allowed from the date of completion of three years of service to those teachers who will pass in the 1st chance and from the date of passing to those teachers who will pass in the 2nd chance.

(ii) There shall be an increase of consolidated Rs. 500/- in the fixed salary of trained teachers and consolidated Rs. 300/- in the fixed salary of untrained teachers who had passed evaluation examination (competency examination) before dt. 03-04-2012. After that from the date 03-04-2012, there shall be an increase of Rs. 170/- yearly to the trained intermediate teachers and Rs. 100/- yearly to the untrained intermediate teachers. The Trained graduate teachers will get an increase of Rs. 300/- yearly and untrained graduate teacher will get an increase of Rs. 200/- yearly.

(iii)The teachers of general category getting minimum 45% marks and the teacher of reserved category getting 40% marks in evaluation examination will be treated as successful.

(iv) The unsuccessful teachers who have participated in two previous evaluation, will get an additional chance for evaluation examination (competency examination). But those successful teachers who have passed the evaluation examination in third attempt will get the benefit of increase in pay from the date of passing.

(v) The unsuccessful teachers in all the three chances of examination will be removed from the service. "

5. **Substitution of Rule 15 (d) (i) of said Rules, 2012** |- The Rule 15 (d) (i) of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following :-

" (i) The untrained teachers will complete the required training within three years from the date of employment. The untrained teachers employed earlier from the notification of this Amendment Rules will also have to complete required training within three years. The leave with pay shall be given with this condition that they will teach at least for five years after the completion of training. In the case of leaving the service before the prescribed period, the received amount during the training period shall be deposited in the government treasury. The teacher concerned shall have to furnish a bond of this intent. The recoverable amount shall be recoverable as the public demand."

By order of the Governor of Bihar,

Sd/- 8/9/15

(R. K. Mahajan)

Principal Secretary.

Memo No. :- 7/Vividh.-14-52/2014 1057 **Patna, dt.** 8/9/15

Copy to :- All Principal Secretary/All Secretary/Accountant General, Bihar/All Divisional Commissioners/Director, Primary Education/ Director, Secondary Education/ All District Magistrates/All Regional Deputy Directors of Education/All Deputy Development Commissioners/All Municipal Commissioners, Municipal Corporation/All District Education

Officers/All District Program Officers/All Executive Officers, Municipalities/All Block Development Officers and All Block Education Officers for information and necessary action.

Sd/- 8/9/15
Principal Secretary.

Memo No. :- 7/Vividh.-14-52/2014 ..1067. **Patna, dt.** 8/9/15

Copy to :- Superintendent Govt. Printing Press, E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna with a copy of the C.D. for publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette. He is requested to make available 3000 copies of the gazette for official use.

Sd/- 8/9/15
Principal Secretary.

E:\Pri. edu. (J)\Niyamawali\1\2015-\Part-2-New\E Nag-2.doc